

अपघटन अधिकांशी
सागावाडा



से नगायत संवत 2010 की जमाबन्दी खतीनी मौजा गामजबामणिया
2652 रकबा 8 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है । उक्त खसरा नम्बर के
लिखित खसरा नम्बर 2775 रकबा एक बिस्वा वव 2776 रकबा

विषय
इस प्रकार है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित
पुंज रतनजी, गनीया, कुंवर जिनके कोई पुंज
श्री शंमली ने अपनी पुत्री श्रीमती गंगा के पति श्री शंमली को घर जमाई
का वारिस बनाया । श्री शंमली के दो पुंज वादीगण हुए ।

निर्णय

धारा 88, 188 आरटीओए

अन्तर्गत धारा 125 सधित 136 लेख देखिये एक्ट एवं

वकील प्रतिवादी - राज 0परीकार

वकील वादी - श्री सी0एस0 शुकला

(प्रतिवादी)

वकील प्रतिवादी सागावाडा

बनाम

(वादीगण)

पटल निवासी गामजा बामणिया

पटल निवासी गामजा बामणिया

अनगन

कैम्प - गामजबामणिया

फैसल दिनांक - 24.5.2018

दायरे दिनांक - 4.10.17

(खसरा वाद) 23/2017

कैम्प गाम पंचायत गामजा बामणिया दि 24.5.2018

अपघटन अधिकांशी सागावाडा जिला ईंनारपुर

नकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी हेतु पत्रावली पेशी पर

के आदेशानुसार न्याय आपक द्वार द्विचर में पत्रावली प्रस्तुत होने
किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब में मौजा गामडा बामणिया की
2072-75 के खाता संख्या 1 में खसरा नंबर 2775 रकबा एक बिस्वा किस्म
न करार दर्ज होना, वादी भगवान पिता भूमजी व धनेश्वर पिता भूमजी पटेल
खसरा नंबर 2775 सेटलमेंट से पूर्व अपने खाते में होने से इन्दाज दुरुस्त कराने
का एवं वर्तमान में खसरा नंबर 2775 मौके पर कृआ न होकर खसरा नंबर
336 में खसरा नंबर 2776 वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 336 में
न करार वरीय पिता भूमजी 1/2 गंगा पिता रतनजी 1/2 पटेल के नाम से
है।

अवली का अवलोकन किया। पत्रावली में वादपत्र के साथ प्रस्तुत फर्द
2775 रकबा आठ बिस्वा के वर्तमान खसरा नंबर 2775
परिचित हुए है। खतौनी आसामीवार संवत 2001
में उक्त खसरा नंबर 2775 बिलानाम दर्ज हो गया है। इसके
के आधार पर उक्त खसरा नंबर 2075 खसरा नंबर 2652 का
वर्तमान जमाबन्दी संवत 2072-75 के खाता संख्या 1 खातेदार राज.
रकबा 1 बिस्वा आया दर्ज हो गया है। जबकि इस आयाजी के
से 2010 की जमाबन्दी नकल अनुसार वादीगण के पूर्वज थे।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर मौजा गामडा बामणिया की
2072-75 का खसरा नंबर 2775 रकबा 0.01 एक बिस्वा आया का
किया जाकर प्रतिवादी के खाते से हटाया जाकर इन्दाज दुरुस्त किया
जाता है। वाद अथ वादी अपना वहन करें।

दिनांक 24.5.2018 को सुनाया गया। निर्णय आज दिनांक 24.5.2018 को सुनाया गया।

नंबर से कम हो।

(गीपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी, गामगाडा
कम गामगाडामणिया